[2018] 4 एस. सी. आर 585

एम/एस। एलिट इंजीनियरिंग और निर्माण (एचवाईडी)

निजी सीमित प्रतिनिधि। इसके प्रबंधक द्वारा

वी.

एम/एस। टीचर्स कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट

सीमित प्रतिनिधि। इसके प्रबंधक द्वारा

(2018 की सिविल अपील संख्या 2439)

फरवरी 23,2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 7 (5)

संदर्भ द्वारा अनुबंध में मध्यस्थता खंड का समावेश-यदि बनाया जाता है-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रियायत समझौता किया, जिसके द्वारा उसने मैसर्स को एक अनुबंध प्रदान किया। टी. के. (रियायत प्राप्तकर्ता) निर्माण संचालन और हस्तांतरण (बी. ओ. टी.) आधार पर परियोजना राजमार्ग के रखरखाव के लिए-ई. पी. सी. द्वारा रियायत प्राप्तकर्ता

ठेकेदार ने बदले में, उस समझौते में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्रतिवादी के साथ एक निर्माण समझौते को निष्पादित किया-प्रतिवादी ने उप-अनुबंध किया अपीलार्थी और अपीलार्थी के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुआ

कथित कार्य के निष्पादन के संबंध में प्रत्यर्थी-अपीलार्थी ने मध्यस्थता प्रत्यर्थी का आह्वान किया कि कोई नहीं था

मध्यस्थता समझौता-अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पक्षों (अपीलार्थी और प्रत्यर्थी) के बीच किया गया समझौता, निहितार्थ, ई. पी. सी. ठेकेदार और के बीच हुए समझौते में निहित मध्यस्थता समझौते को शामिल किया गया

प्रत्यर्थी-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल एक अन्य दस्तावेज का संदर्भ था जिसका पक्षकारों के बीच अनुबंध में मध्यस्थता खंड को शामिल करने का कोई इरादा नहीं था -

आयोजित किया गयाः उचित-तत्काल मामले में, मध्यस्थता खंड को अपीलार्थी और प्रतिवादी के बीच अनुबंध के एक भाग के रूप में बनाने का इरादा नहीं था-जब निगमन खंड कुछ विशेष नियमों और शर्तों को संदर्भित करता है, तो केवल उन नियमों और शर्तों को शामिल किया जाता है न कि मध्यस्थता खंड को।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अनुसार, एक मध्यस्थता खंड

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्वतंत्र दस्तावेज़ को पक्षकारों के बीच अनुबंध में आयात और उत्कीर्ण किया जा सकता है, अनुबंध में ऐसे स्वतंत्र दस्तावेज़ के संदर्भ में, भले ही मध्यस्थता के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान न हो। हालांकि, इस तरह का एक उपाय हो सकता है

केवल तभी अपनाया जाता है जब संदर्भ ऐसा हो कि मध्यस्थता की जाए।

ऐसे दस्तावेज़ में खंड, अनुबंध का एक हिस्सा। ' [पैरा 16] [593 ई-एफ]

2. उच्च न्यायालय ने सही ढंग से अभिनिर्धारित किया है कि तत्काल मामले में, मध्यस्थता खंड को अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच अनुबंध के एक भाग के रूप में बनाने का इरादा नहीं था। खंड 2 और खंड 9.10 को उच्च न्यायालय द्वारा सही व्याख्या दी गई है। इन खंडों में केवल अनुबंध, विनिर्देशन आदि की वे शर्तें और उप-शर्तें शामिल की गई हैं जो कार्यों और गुणवत्ता से संबंधित हैं। खंड 9.10 केवल 'वस्तुओं' की बात करता है जो

अनुबंध में इनका उल्लेख नहीं है और उन वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित नियम और शर्तें मुख्य अनुबंधों से ली जानी हैं। खंड 8.7 का संदर्भ भी अप्रासंगिक है। केवल इस खंड द्वारा, मुख्य समझौते में निहित वे शर्तें जो 'कार्य की शर्तों' से संबंधित हैं, शामिल की जाती हैं। 'समाप्ति' से संबंधित प्रक्रिया विवादों के समाधान से पूरी तरह से अलग है। विवाद उत्पन्न हो सकता है यहां तक कि इसकी समाप्ति भी हो सकती है

अनुबंध और एक पूरी तरह से अलग पहलू है, जरूरी नहीं कि काम की समाप्ति के साथ जुड़ा हुआ। [पैरा 18] [596-बी-डी]

एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड (2009) 7 एस. सी. सी. 696 [2009] 10 एस. सी. आर. 373; ग्रुप चिमिक ट्यूनीशियन एस. ए. बनाम। दक्षिणी पेट्रोकेमिकल उद्योग निगम। लिमिटेड (2006) 5 एस. सी. सी. 275 [2006] 2 पूरक। एससीआर 954; लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम। मोहन लाल हरबंस लाल भयाना (2015) 2

एस. सी. सी. 461 [2014] 3 एस. सी. आर. 162; शर्मा एंड एसोसिएट्स कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (2017) 5 एस. सी. सी. 743 निर्दिष्ट

को। एलिमेंटा एस. ए. वी. राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति। एमकेटीजी। फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (1987) 1 एस. सी. सी. 615: [1987] 1

एस. सी. आर. 957-पर निर्भर।

एम/एस। एलीट अंग्रेजी। & कॉन्स्ट। (एचवाईडी.) पीवीटी। लिमिटेड। वी. एम/एस।

टीचर्स कॉन्स्ट। भारत पी. वी. टी. लिमिटेड।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 10 एससीआर 373

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[2006] 2 पूरक। एससीआर 954

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[2014] 3 एससीआर 162

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

(2017) 5 एस. सी. सी. 743

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[1987] 1 एससीआर 957

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2439

2018 से।

उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 18.09.2015 निर्णय और आदेश से

2014 की मूल याचिका संख्या 203 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

श्रीधर पोटाराजू, प्रभात कुमार, सुश्री सिंदेओरा वी. एन. एल., सुश्री अंकिता

शर्मा, उदय खन्ना, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

ए. के. गांगुली, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डॉ. अमित जॉर्ज, आर. सतीश, मोहन दास

के. के., राजेश कुमार, सुश्री एस. गीता, सुश्री स्मिता रानी, सुश्री सोनिया वासुदेव, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
ए. के. सिकरी, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने प्रवेश किया था

19 जुलाई, 2007 का समझौता (जिसे इसके बाद 'रियायत समझौता' के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसके तहत उसने मेसर्स को एक अनुबंध प्रदान किया था। टी. के. टोल रोड प्रा. लिमिटेड (इसके बाद 'रियायतकर्ता' के रूप में संदर्भित) अन्य बातों के साथ-साथ निर्माण संचालन पर परियोजना राजमार्ग के डिजाइन, इंजीनियरिंग, वित्तपोषण, खरीद, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए। कोयंबटूर और नागपट्टिनम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 67 पर स्थानांतरण (बी. ओ. टी.) आधार। रियायत पाने वाले ने 31 जनवरी, 2008 को ई. पी. सी. समझौते (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण समझौता) के माध्यम से मेसर्स को एक निश्चित एकमुश्त भुगतान के आधार पर उक्त कार्य प्रदान किया। यूटिलिटी एनर्जीटेक एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद संदर्भित)

ई. पी. सी. ठेकेदार के रूप में)। ई. पी. सी. ठेकेदार ने बदले में प्रतिवादी (एम/एस.) के साथ 14 मार्च, 2008 को एक निर्माण समझौते को निष्पादित किया। टेकट्रांस कंस्ट्रक्शन इंडिया प्रा. लिमिटेड) उस समझौते में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार कार्यों को निष्पादित करने के लिए। उस समझौते के खंड 8 ने प्रत्यर्थी को संरचनात्मक कार्य को उप-अनुबंध करने की अनुमति दी। तदनुसार, प्रत्यर्थी ने अपने काम के उप-अनुबंध के लिए एक निविदा जारी की जिसमें अपीलार्थी ने भी अपनी बोली प्रस्तुत की और अंततः 29 जुलाई के समझौते के माध्यम से प्रत्यर्थी द्वारा उक्त काम को प्रदान किया गया।

2009 .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. उक्त कार्य के निष्पादन के संबंध में अपीलार्थी और प्रत्यर्थी और अपीलार्थी के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए।

25 मार्च, 2013 के अपने पत्र में प्रतिवादी के खिलाफ कुछ दावे किए गए थे। अपीलार्थी ने प्रधान न्यायाधीश, करूर की फाइल पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 9 के तहत मूल याचिका भी दायर की। इस याचिका को प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसने अपने जवाब में अपीलार्थी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया और यह भी प्रस्तुत किया कि चूंकि पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता नहीं था, इसलिए अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी। जबकि यह लंबित था, अपीलार्थी ने आवेदन दायर किया

28 जनवरी, 2014 को मद्रास में उच्च न्यायालय में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 11 (3) और (5) के तहत। नोटिस करें

यह याचिका उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई थी। इस बीच, 30 जून, 2014 को प्रधान न्यायाधीश, करूर ने अधिनियम की धारा 9 के तहत अपीलार्थी की याचिका को स्वीकार कर लिया, लेकिन मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के मुद्दे को खुला छोड़ दिया।

4. जहाँ तक अधिनियम की धारा 11 के तहत अपीलार्थी की याचिका है -

संबंधित, इसे प्रतिवादी द्वारा किसी भी समझौते के अभाव के आधार पर याचिका की स्थिरता पर आपत्ति लेते हुए चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने 18 सितंबर, 2015 के विवादित आदेशों के माध्यम से अपीलार्थी की उक्त याचिका को खारिज कर दिया है।

प्रत्यर्थी का यह तर्क कि पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता नहीं है और इसलिए, मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के लिए अधिनियम के तहत उपाय उपलब्ध नहीं है। 5. इस मोड़ पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच 29 जुलाई, 2009 के समझौते में कोई मध्यस्थता खंड नहीं है। कोई स्वतंत्र मध्यस्थता नहीं है

पक्षों के बीच भी समझौता। हालांकि, द्वारा स्थापित मामला

6. निर्विवाद रूप से, ई. पी. सी. ठेकेदार और प्रत्यर्थी के बीच 14 मार्च, 2008 के समझौते के खंड 45 में निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल हैं - विवादों और उनके उपखंड (3) का समाधान मध्यस्थता प्रक्रिया को संदर्भित करता है। किसी भी विवाद के मामले में, खंड 45.1 के अनुसार, पहला प्रयास 'सौहार्दपूर्ण समाधान' के लिए है। इसके बाद, खंड 45.2 के तहत, [/एस] की प्रक्रिया।

ELITE ENGRG & CONST (एचवाईडी.) पीवीटी। लिमिटेड। वी. एम/एस। हर एक का मुकाबला होता है। भारत पी. वी. टी. लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]'मध्यस्थता' का सहारा लिया जाना चाहिए और यदि वह भी विफल हो जाता है तो 'मध्यस्थता आदेश' प्रदान किया जाता है। खंड 45.3 और खंड 45.4 निम्नानुसार पढ़े जाते हैंः

" 45.3. मध्यस्थता प्रक्रियाः

अनुच्छेद 45.1 और 45.2 के प्रावधानों के अधीन, कोई भी विवाद, जो पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान या मध्यस्थता के संदर्भ द्वारा हल नहीं किया जाता है, अंततः मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत बाध्यकारी मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाएगा। मध्यस्थता तीन मध्यस्थों के एक पैनल द्वारा की जाएगी, एक प्रत्येक पक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा और तीसरा दलों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थता की आवश्यकता रखने वाला पक्ष लिखित रूप में एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, दूसरे पक्ष को ऐसी नियुक्ति के बारे में सूचित करेगा और दूसरे पक्ष से अपनी नियुक्ति करने के लिए कहेगा।

मध्यस्थ। यदि ऐसी सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर दूसरा पक्ष अपना मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है, तो मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाला पक्ष मध्यस्थता के अनुसार आगे के कदम उठा सकता है।

45.4 . मध्यस्थता का स्थानः सभी विवादों के लिए मध्यस्थता का स्थान मुंबई होगा।

7. अपीलार्थी के अनुसार, यह खंड 29 जुलाई, 2009 की तारीख में शामिल किया गया है जो दोनों पक्षों के बीच दर्ज किया गया था।अभियुक्त और अपीलार्थी, उक्त में निम्नलिखित खंडों के आधार पर

विचारः

" 2.उप-ठेकेदार एतद्वारा सहमत होता है, कार्य के उक्त मूल्य को निष्पादित करने का कार्य करता है, और कार्य के कुशल और सफल निष्पादन के लिए जिम्मेदार होता है और अनुबंध के अनुसार पूरा किया जाना है। अनुबंध दस्तावेज़ में निर्दिष्ट अवधि।

ए। बी।

निर्माण के बीच प्रासंगिक समझौते में निर्दिष्ट कार्यों और गुणवत्ता से संबंधित अनुबंध, विनिर्देशों (सामान्य और अतिरिक्त खंड) की सभी शर्तें और विशेष शर्तें।

ठेकेदार और नियोक्ता उप-ठेकेदार पर बाध्य हैं। अनुलग्नक-मैं उसमें संलग्न नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करता हूं।

अन्य रूप से खंड-9.10 निम्नानुसार प्रदान करता हैः

" 9.10 . जिन वस्तुओं का इस समझौते के खंडों में उल्लेख नहीं है, ठेकेदार और ई. पी. सी. के बीच समझौते के नियम और शर्तें

रियायतकर्ता लागू होगा "।

8. इस प्रकार, अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जब उपरोक्त खंड के अनुसार, अपीलार्थी अनुबंध दस्तावेज़ में निर्दिष्ट अनुबंध के अनुसार काम करने के लिए सहमत हो गया था और शुरू कर दिया था और उक्त खंड में विशेष रूप से यह भी प्रावधान किया गया था कि निर्माण ठेकेदार और नियोक्ता के बीच प्रासंगिक समझौते में निर्दिष्ट कार्यों और गुणों से संबंधित अनुबंध की सभी विशेष शर्तें, विनिर्देश आदि प्रतिवादी पर बाध्यकारी हैं, तो मध्यस्थता समझौते से संबंधित खंड यानी ईपीसी ठेकेदार और प्रतिवादी के बीच किए गए 45 भी निगमन द्वारा लागू हो गए। यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुलग्नक 1 के खंड 9.10 के साथ पढ़ा गया उपरोक्त खंड जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जिन वस्तुओं के संबंध में समझौते के खंडों में उल्लेख नहीं है, ठेकेदार और ई. पी. सी. रियायतकर्ता के बीच समझौते के नियम और शर्तें लागू होंगी, वे भी उसी परिणाम की ओर ले जाएंगी।

9. ये दलीलें ही उच्च न्यायालय के समक्ष उठाई गई थीं। द.

अपीलार्थी ने कानूनी उपचार का आह्वान करने से पहले प्रत्यर्थी को संबोधित कुछ संचारों का भी उल्लेख किया था जिसमें कहा गया है कि पक्षकार खंड 45.3 के अनुसार विवादों के निपटारे के लिए सहमत हुए थे। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने अधिनियम की धारा 9 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका के पैराग्राफ 23 की ओर उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया था, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि अपीलार्थी सक्षम दीवानी अदालत से संपर्क करके राशि की वसूली के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए विवश होगा। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने राय दी कि केवल संचार से, यह नहीं कहा जा सकता है कि पक्षकार मध्यस्थता के लिए सहमत हुए थे और वास्तव में, अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 9 के तहत दायर अपनी याचिका में प्रत्यर्थी और नियोक्ता के बीच समझौते के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की थी। जैसा कि यह इस हद तक गया था कि 'याचिकाकर्ता को अब तक समझौते के नियमों और शर्तों के बारे में पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया है'। इसके बाद उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच किए गए समझौते के खंड 2 और 9 का अर्थ निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उन खंडों का अर्थ कभी भी दिनांकित समझौते में मध्यस्थता समझौते को शामिल करना नहीं था

29 जुलाई, 2009 को दोनों पक्षों के बीच फांसी दी गई। इस पहलू पर चर्चा इस प्रकार हैः

एम/एस। एलीट अंग्रेजी। & कॉन्स्ट। (एचवाईडी.) पीवीटी। लिमिटेड। वी. एम/एस। टीचर्स कॉन्स्ट। भारत पी. वी. टी. लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

" 18. दलीलों और दस्तावेजों के सावधानीपूर्वक अवलोकन के साथ-साथ पक्षों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों पर, विशेष रूप से खंडों को पढ़ने पर, इस न्यायालय का विचार है कि दिनांकित 29.07.2009 के समझौते के खंड-2 का हिस्सा केवल संबंधित में निर्दिष्ट कार्यों और गुणवत्ता को संदर्भित करता है।

निर्माण ठेकेदार और के बीच समझौता

मध्यस्थता खंड का उल्लेख। यह केवल मध्यस्थता खंड के संदर्भ की अनुपस्थिति का मामला नहीं है, बल्कि संदर्भ "कार्य और निर्दिष्ट गुणवत्ता" के लिए विशिष्ट है। इस खंड का कोई विस्तारित अर्थ नहीं दिया जा सकता है। यह इस संदर्भ में है कि नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करने वाले अनुलग्नक-I के खंड-9.10 को पढ़ना होगा। एक बार फिर, यह उन "वस्तुओं" को संदर्भित करता है जिनका उल्लेख समझौते के खंडों में नहीं किया गया है जहां पहले के समझौते की शर्तें हैं। लागू होगा। इस प्रकार, यह उन वस्तुओं को संदर्भित करेगा जो

उपयोग किया जाता है।

10. उच्च न्यायालय ने एक अन्य दस्तावेज़ के संदर्भ और एक अन्य दस्तावेज़ को शामिल करने के बीच भी अंतर किया।

संदर्भ द्वारा अनुबंध, जिसे इस न्यायालय द्वारा एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम में समझाया गया है। सोम दत्त बिल्डर्स Ltd.[1] और अभिनिर्धारित किया कि, तत्काल मामले में, केवल एक अन्य दस्तावेज़ का संदर्भ था जिसका पक्षकारों के बीच एक अनुबंध में मध्यस्थता खंड को शामिल करने का कोई इरादा नहीं था।

11. उच्च न्यायालय के उपरोक्त दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जब अपीलार्थी की आवश्यकता थी मूल समझौते में निहित नियमों और शर्तों पर काम को निष्पादित करने के लिए, खंड 45.3 सहित सभी शर्तों को शामिल करने का स्पष्ट इरादा था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पक्षों के बीच समझौते के खंड 8.7 का उल्लेख किया जो निम्नानुसार निर्धारित करता है:

" 8.7 कार्य समाप्ति से संबंधित अन्य शर्तें ई. पी. सी., रियायत प्राप्तकर्ता और निर्माण के बीच समझौते के समान होंगी।

ठेकेदार "।

12. उनका निवेदन था कि जब ई. पी. सी., रियायत प्राप्तकर्ता और के बीच समझौते में निहित कार्य की समाप्ति से संबंधित शर्तें 1 (2009) 7 एससीसी 696 [2018] 4 एस. सी. आर.

प्रत्यर्थी को अपने समझौते को भी नियंत्रित करना था, इनमें मध्यस्थता के माध्यम से काम की समाप्ति पर विवादों का निपटान शामिल होगा जो नियोक्ता और प्रत्यर्थी के बीच अनुबंध में प्रदान की गई अवधि थी। ग्रुप चिमिक ट्यूनीशियन एस. ए. बनाम के मामले में निर्णय पर भरोसा करते हुए। दक्षिणी पेट्रोकेमिकल उद्योग निगम। Ltd.[2], उन्होंने प्रस्तुत किया कि केवल यह तथ्य कि अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 9 के तहत अपनी याचिका में प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दायर करने का उल्लेख किया था, उस प्रतिवादी के लाभ के लिए आश्वस्त नहीं होगा जिसने कानून की गलत समझ के कारण ऐसा कहा था। पैरा 9 इस प्रकार हैः

" 9. यह सच है कि याचिकाकर्ता ने जॉर्डन की अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता नहीं था। लेकिन उक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया गया और याचिकाकर्ता द्वारा दायर मुकदमे को अधिकार क्षेत्र के अभाव के आधार पर खारिज कर दिया गया है। इसके बाद, प्रतिवादी की दलीलों के संदर्भ में मामले पर पुनर्विचार करने और कानूनी सलाह लेने पर, याचिकाकर्ता अब इस आधार पर आगे बढ़ा है कि पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है। यदि, गलती या कानून की गलत समझ के कारण, कोई पक्ष एक विशेष रुख अपनाता है (यानी, कोई मध्यस्थता समझौता नहीं है), तो उसे बाद में अपना रुख बदलने से नहीं रोका जाता है या मध्यस्थता की मांग करने से वंचित नहीं किया जाता है।

[देखें यू. पी. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड बनाम। इंदूर (पी) लिमिटेड [(1996) 2 एस. सी. सी. 667] जहाँ विरोध पर आधारित विवाद को नकार दिया गया था।

एक आरक्षित (एसआईसी रिवर्स) स्थिति पर विचार करते हुए [एड। : पैरा

12] .] "

13. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गांगुली ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच किए गए समझौते के खंड 2 में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि नियोक्ता और प्रत्यर्थी के बीच अनुबंध के उन नियमों और शर्तों का केवल एक योग्य समावेश था जो कार्यों और गुणवत्ता से संबंधित थे। जहाँ तक खंड 45 का संबंध है, पक्षकारों के बीच इसकी कोई सचेत स्वीकृति नहीं थी और यही कारण था कि प्रतिवादी को भी उक्त खंड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए, उन्होंने अधिनियम की धारा 9 के तहत दायर अपनी याचिका में भी इसका उल्लेख नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड पर सही भरोसा किया है।

याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करने का मामला। उन्होंने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसलों पर भी भरोसा किया। मोहन 2 (2006) 5 एससीसी 275 एम/एस।

एलीट अंग्रेजी। & कॉन्स्ट। (एचवाईडी.) पीवीटी। लिमिटेड। वी. एम/एस। टीचर्स कॉन्स्ट। भारत पी. वी. टी. लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

लाल हरबंस लाल भयाना 3 और शर्मा एंड एसोसिएट्स कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम। प्रगतिशील निर्माण लिमिटेड।

14. संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हम इच्छुक हैं

प्रत्यर्थी से सहमत होना और इसलिए, उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय में कोई दोष नहीं पाना।

15. एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में,

इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 7 के सही इरादे और दायरे पर विचार किया जो 'मध्यस्थता समझौते' से संबंधित है। धारा 7 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

" 7. मध्यस्थता समझौता। - (1) इस भाग में, मध्यस्थता

मध्यस्थता सभी या कुछ विवाद जो उत्पन्न हुए हैं या जो हो सकते हैं एक परिभाषित कानूनी संबंध के संबंध में उनके बीच उत्पन्न होता है,

चाहे संविदात्मक हो या नहीं।

XXX

XXX

XXX

(5) एक दस्तावेज़ के लिए एक अनुबंध में संदर्भ जिसमें एक

अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है कि मध्यस्थता खंड अनुबंध का हिस्सा है।

16. उप-धारा (5) के अनुसार, एक मध्यस्थता खंड में निहित है

स्वतंत्र दस्तावेज़ को पक्षकारों के बीच अनुबंध में आयात और उत्कीर्ण किया जा सकता है, अनुबंध में ऐसे स्वतंत्र दस्तावेज़ के संदर्भ में, भले ही मध्यस्थता के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान न हो। हालांकि, अदालत ने कहा कि इस तरह का उपाय केवल तभी अपनाया जा सकता है जब संदर्भ ऐसा हो कि ऐसे दस्तावेज में मध्यस्थता खंड को अनुबंध का एक हिस्सा बनाया जाए। धारा 7 की उप-धारा (5) की इस व्याख्या को निम्नलिखित तरीके से विस्तृत किया गया थाः

" 14. अधिनियम की धारा 7 (5) के शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि

केवल किसी दस्तावेज़ के संदर्भ का बनाने का प्रभाव नहीं होगा

उस दस्तावेज़ से एक मध्यस्थता खंड, अनुबंध का एक हिस्सा।

अनुबंध में दस्तावेज़ का संदर्भ इस तरह होना चाहिए

जो मध्यस्थता खंड को शामिल करने के इरादे को दर्शाता है दस्तावेज़ में, अनुबंध में निहित। यदि विधायी इरादा

किसी अन्य दस्तावेज़ से मध्यस्थता खंड आयात करना था, केवल

3 (2015) 2 एस. सी. सी. 461

4 (2017) 5 एससीसी 743 [2018] 4 एस. सी. आर.

अनुबंध में ऐसे दस्तावेज़ के संदर्भ में, उप-धारा (5) में बाद का महत्वपूर्ण भाग नहीं होगा जिसमें लिखा हैः " और संदर्भ ऐसा है कि उस मध्यस्थता खंड को इसका हिस्सा बनाया जाए

अनुबंध ", लेकिन पहले भाग के साथ रुक गया होगा जो पढ़ता हैः

" 7. (5) मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ के लिए एक अनुबंध में संदर्भ एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि

अनुबंध लिखित रूप में है।

" "

15. इसलिए धारा 7 (5) में पक्षकारों द्वारा अपने अनुबंध के एक भाग के रूप में किसी अन्य दस्तावेज से मध्यस्थता खंड की सचेत स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि इस तरह के मध्यस्थता खंड को पक्षों के बीच अनुबंध के एक भाग के रूप में पढ़ा जा सके। लेकिन अधिनियम में किसी अनुबंध में किसी दस्तावेज़ के संदर्भ को मध्यस्थता खंड को शामिल करने वाले संदर्भ के रूप में माने जाने से पहले पूरी की जाने वाली शर्तों के बारे में कोई संकेत या दिशानिर्देश नहीं हैं।

अनुबंध में ऐसे दस्तावेज़ में निहित। इस तरह के वैधानिक दिशानिर्देशों के अभाव में, निर्माण के सामान्य नियम अनुबंधों का पालन करना होगा।

16. अनुबंध में किसी अन्य दस्तावेज़ के संदर्भ और अनुबंध में किसी अन्य दस्तावेज़ को संदर्भ द्वारा शामिल करने के बीच अंतर है। पहले मामले में, पक्ष अनुबंध के उद्देश्यों के लिए केवल विशिष्ट भागों या निर्दिष्ट दस्तावेज़ के हिस्से को अपनाने का इरादा रखते हैं। दूसरे मामले में, पक्षकार संदर्भित दस्तावेज़ को पूरी तरह से अनुबंध में शामिल करने का इरादा रखते हैं। इसलिए जब किसी अनुबंध में किसी दस्तावेज़ का संदर्भ होता है, तो अदालत को इस बात पर विचार करना होता है कि क्या दस्तावेज़ का संदर्भ उस दस्तावेज़ की सामग्री को पूरी तरह से अनुबंध में शामिल करने के इरादे से है, या अपनाने या उधार लेने के इरादे से है।

आवेदन के लिए उक्त दस्तावेज़ के विशिष्ट भाग

अनुबंध "।

17. इस पहलू पर कुछ और चर्चा के बाद केस लॉ के साथ-साथ मध्यस्थता पर रसेल के उद्धरणों के संदर्भ में, टी ने स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत कियाः

" 24. अतः अधिनियम की धारा 7 (5) का दायरा और आशय

संक्षेप में इस प्रकार कहेंः (i) किसी अन्य दस्तावेज़ में एक मध्यस्थता खंड, प्राप्त करेगा

संदर्भ द्वारा किसी अनुबंध में निगमित, यदि निम्नलिखित

शर्तों को पूरा किया जाता हैः

आई/एस। एलीट अंग्रेजी। & कॉन्स्ट। (एचवाईडी.) पीवीटी। लिमिटेड। वी. एम/एस। हर एक का मुकाबला होता है। भारत पी. वी. टी. लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

(1) अनुबंध में दस्तावेजों का स्पष्ट संदर्भ होना चाहिए।

जिसमें मध्यस्थता खंड शामिल है,

(2) अन्य दस्तावेज़ के संदर्भ को स्पष्ट रूप से मध्यस्थता खंड को शामिल करने के इरादे का संकेत देना चाहिए

अनुबंध,

(3) मध्यस्थता खंड उचित होना चाहिए, जो अनुबंध के तहत विवादों के संबंध में आवेदन करने में सक्षम है और होना चाहिए

अनुबंध की किसी भी अवधि के लिए प्रतिकूल न हों।

(ii) जब पक्ष एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं, तो एक सामान्य एक अन्य अनुबंध के संदर्भ में, इस तरह के सामान्य संदर्भ का पक्षकारों के बीच अनुबंध में संदर्भित दस्तावेज़ से मध्यस्थता खंड को शामिल करने का प्रभाव नहीं होगा। किसी अन्य अनुबंध से मध्यस्थता खंड को इसमें शामिल किया जा सकता है।

अनुबंध (जहां ऐसा संदर्भ दिया जाता है), केवल मध्यस्थता खंड के एक विशिष्ट संदर्भ द्वारा।

(iii) जहां पक्षों के बीच एक अनुबंध में यह प्रावधान है कि उस अनुबंध का निष्पादन या प्रदर्शन निम्नलिखित के संदर्भ में होगाः

एक अन्य अनुबंध (जिसमें निष्पादन से संबंधित नियम और शर्तें और मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटारे का प्रावधान शामिल है), तब, केवल निष्पादन/निष्पादन के संबंध में संदर्भित अनुबंध की शर्तें लागू होंगी, न कि संदर्भित अनुबंध में मध्यस्थता समझौता, जब तक कि कोई विशेष प्रावधान न हो। मध्यस्थता खंड का भी संदर्भ।

((iv) जहां अनुबंध किसी स्वतंत्र व्यापार या व्यावसायिक संस्थान के नियमों और शर्तों का मानक रूप प्रदान करता है (उदाहरण के लिए किसी व्यापार के मानक नियम और शर्तें)।

और शर्तें या कि पक्षों ने उक्त नियमों और शर्तों को पढ़ा और समझा है। (v) जहां पक्षों के बीच अनुबंध में कहा गया है कि अनुबंध के लिए एक पक्ष की अनुबंध की शर्तें उनके अनुबंध का एक हिस्सा बनेंगी (उदाहरण के लिए सरकार की अनुबंध की सामान्य शर्तें जहां -

सरकार एक पक्ष है), मध्यस्थता खंड भाग [2018] 4 एस. सी. आर.

अनुबंध की ऐसी सामान्य शर्तें लागू होंगी पक्षों के बीच अनुबंध।

18. जब हम उपरोक्त अनुपात को लागू करते हैं, तो हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने सही ढंग से अभिनिर्धारित किया है कि तत्काल मामले में, मध्यस्थता खंड को अपीलार्थी और प्रतिवादी के बीच अनुबंध के एक भाग के रूप में बनाने का इरादा नहीं था। खंड 2 और खंड 9.10 सही दिए गए हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या और इस संबंध में चर्चा पहले ही ऊपर निकाली जा चुकी है। इन खंडों में केवल अनुबंध, विनिर्देशन आदि की उन शर्तों और उप शर्तों को शामिल किया गया है जो कार्यों और गुणवत्ता से संबंधित हैं। खंड 9.10 केवल उन 'वस्तुओं' की बात करता है जिनका अनुबंध में उल्लेख नहीं है और उन वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित नियम और शर्तें मुख्य अनुबंधों से ली जानी हैं। खंड 8.7 का संदर्भ भी अप्रासंगिक है। केवल इस खंड द्वारा, मुख्य समझौते में निहित वे शर्तें जो 'कार्य की शर्तों' से संबंधित हैं, शामिल की गई हैं। 'समाप्ति' से संबंधित प्रक्रिया विवादों के समाधान से पूरी तरह से अलग है। अनुबंध की समाप्ति पर भी विवाद उत्पन्न हो सकता है और यह एक पूरी तरह से अलग पहलू है, जो आवश्यक रूप से काम की समाप्ति से जुड़ा नहीं है।

19. एलिमेंटा एस. ए. वी. में राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति। एमकेटीजी।

भारतीय संघ का प्रश्न यह था कि क्या फॉस्फा-20 में मध्यस्थता खंड को पहले अनुबंध में खंड 11 के माध्यम से और दूसरे अनुबंध में खंड 9 के आधार पर शामिल किया गया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जबकि मध्यस्थता खंड को पहले अनुबंध में शामिल किया गया था, इसे दूसरे अनुबंध में शामिल नहीं किया गया था। इसे निर्धारित करने के लिए मामले को कैसे देखा जाना चाहिए, इस पर निम्नलिखित में चर्चा की गई थीः

तरीका -

" 13. ..... इस अनुबंध के खंड 9 और पहले अनुबंध के खंड 11 के बीच काफी अंतर है। खंड 11 को सामान्य शब्दों में जोड़ा गया है, लेकिन खंड 9 आपूर्ति के लिए अन्य सभी नियमों और शर्तों को संदर्भित करता है। उच्च न्यायालय का विचार है कि खंड 9 द्वारा पहले अनुबंध के नियम और शर्तें जो एच. पी. एस. की आपूर्ति से संबंधित थीं, उन्हें दूसरे अनुबंध में शामिल किया गया था, और मध्यस्थता के बारे में शब्द माल की आपूर्ति के लिए आकस्मिक नहीं होने के कारण, यह नहीं माना जा सकता था कि पहले अनुबंध से दूसरे अनुबंध में भी हटा दिया गया था।

एलीट अंग्रेजी। & कॉन्स्ट। (एचवाईडी.) पीवीटी। लिमिटेड। वी. एम/एस। हर एक का मुकाबला होता है। भारत पी. वी. टी. लिमिटेड। [ए. के. सिकरी, जे.]

14. तथापि, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि - उच्च न्यायालय का विचार गलत था कि मध्यस्थता के बारे में एक शब्द है

वस्तुओं की आपूर्ति की अवधि नहीं। हमें नहीं लगता कि विवाद

ध्वनि है। उच्च न्यायालय द्वारा यह ठीक ही कहा गया है कि

आपूर्ति के नियमों और शर्तों की सामान्य घटनाएं हैं जो आपूर्ति से जुड़े हैं, जैसे कि, इसका तरीका और

प्रक्रिया, समय कारक, निरीक्षण और अनुमोदन, यदि कोई हो, विश्वसनीयता

पारगमन, आकस्मिक व्यय आदि के लिए। हम स्वीकार नहीं कर सकते

अपीलार्थी का तर्क कि एक मध्यस्थता खंड एक अवधि है

आपूर्ति की। कानून का कोई प्रस्ताव नहीं है कि जब कोई अनुबंध है

माल की आपूर्ति के लिए मध्यस्थता खंड का गठन किया जाना चाहिए

इस तरह के एक अनुबंध का हिस्सा। पार्टियाँ कुछ अन्य चुन सकती हैं

उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को हल करने के उद्देश्य से विधि

उनके बीच। लेकिन इस तरह के अनुबंध में आपूर्ति की घटनाएं

आम तौर पर अनुबंध के नियमों और शर्तों का हिस्सा होते हैं।

यह अभिनिर्धारित करना कठिन है कि मध्यस्थता खंड भी निर्दिष्ट किया गया है और, इस प्रकार, दूसरे अनुबंध में शामिल किया गया। जब

निगमन खंड कुछ विशेष शर्तों को संदर्भित करता है और

शर्तों, केवल उन नियमों और शर्तों को शामिल किया जाता है और मध्यस्थता खंड नहीं। वर्तमान मामले में, खंड 9

विशेष रूप से आपूर्ति के नियमों और शर्तों को संदर्भित करता है

मध्यस्थता खंड। उच्च न्यायालय ने सही लिया है दूसरे अनुबंध के संबंध में भी देखें।

(जोर दिया गया)

20. यह निर्णय एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स में उल्लिखित है।

सीमित मामले में भी और एम. आर. इंजीनियरों के तथ्यों में और

रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, अदालत ने माना कि कोई नहीं था

मध्यस्थता खंड का प्रवर्तन। निम्नलिखित चर्चा इस मामले में भी इस मुद्दे पर प्रकाश डालती है:

" 37. वर्तमान मामले में मध्यस्थता खंड के शब्दों में

पीडब्लू विभाग और ठेकेदार के बीच मुख्य अनुबंध

यह स्पष्ट करता है कि इसे उप-अनुबंध पर लागू नहीं किया जा सकता है

ठेकेदार और उप-ठेकेदार। [2018] 4 एस. सी. आर. में मध्यस्थता खंड।

मुख्य अनुबंध में कहा गया है कि जिन विवादों को खंड 67.3 के तहत तीन मध्यस्थों की समिति को भेजा जाना है, वे विवाद हैं जिसके संबंध में अभियंता का निर्णय ("अभियंता" केरल राज्य द्वारा पीडब्लू विभाग और प्रत्यर्थी के बीच अनुबंध के उद्देश्य के लिए अभियंता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को संदर्भित करता है) खंड 67.1 या विवादों के अनुसार अंतिम और बाध्यकारी नहीं बन गया है जिनके संबंध में सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हुआ है।

खंड 67.2 में वर्णित अवधि के भीतर केरल राज्य और प्रत्यर्थी के बीच समझौता किया गया था। जाहिर है कि न तो खंड 67.1 और न ही 67.2 लागू होगा क्योंकि ठेकेदार और उप-ठेकेदार के बीच विवाद में कोई निर्णय जारी करने या ठेकेदार और उप-ठेकेदार के बीच विवादों के संबंध में इंजीनियर के साथ की जा रही कोई बातचीत का सवाल ही नहीं उठता है। स्थिति काफी अलग होती अगर

मध्यस्थता खंड ने "उत्पन्न होने वाले सभी विवाद" शब्दों का उपयोग किया था।

पक्षों के बीच "या" इस अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाले सभी विवाद "। दूसरा, मध्यस्थता खंड तीन मध्यस्थों की एक समिति पर विचार करता है, जिनमें से प्रत्येक को नियुक्त किया जाना है।

केरल राज्य द्वारा और प्रत्यर्थी और तीसरे (अध्यक्ष) को महानिदेशक, सड़क विकास, भूतल परिवहन मंत्रालय, सड़क शाखा, भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। ऐसा कोई सवाल ही नहीं है।

ठेकेदार के बीच विवाद के मामले में नामांकन और उप-ठेकेदार "।

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील खारिज कर दी जाती है।

याचिका

खारिज कर दी गई।

ज्ञान [2018] 4 एस. सी. आर 599

शिवावा और ए. एन. आर.

वी.

शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय भारत बीमा

सीओ। लिमिटेड। AND ANDR।

(2018 की सिविल अपील संख्या 2247)

मार्च 28,2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई और ए. एम. खानविलकर, जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988। 166 - ट्रैक्टर से गिरने से व्यक्ति की मृत्यु हो गई-प्रतिवादी नंबर 2 के स्वामित्व वाला ट्रेलर-दावा

प्रतिवादी संख्या 1-बीमा से मुआवजे की मांग करते हुए न्यायाधिकरण के समक्ष मृतक के पिता, अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा दायर याचिका

कंपनी, प्रतिवादी संख्या 2 और चालक (प्रतिवादी संख्या 2 के कर्मचारी)-न्यायाधिकरण ने मृतक के परिवार के सदस्यों को मुआवजे के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदाताओं के खिलाफ निर्णय पारित किया। 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ रु. 1/- की राशि-उच्च न्यायालय ने अपील में कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 बीमा कंपनी को किसी भी दायित्व से नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि मृतक ने अपने साथ यात्रा नहीं की थी।

ट्रैक्टर में सामान-ट्रेलर और इसलिए, इसे किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सका-आयोजितः न्यायाधिकरण ने पूरी तरह से साक्ष्य का विश्लेषण किया और इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए विचाराधीन दुर्घटना के संबंध में दायर आरोप पत्र को भी ध्यान में रखा कि मृतक ने अपने सामान के साथ ट्रैक्टर में होल्लूर की यात्रा की थी, जहां वह प्रतिवादी संख्या 2 से संबंधित ट्रैक्टर पर लदे मक्के के अनाज को उतारने गया था और वहां से लौटते समय दुर्घटना का सामना करना पड़ा-उच्च न्यायालय ने एक व्यापक अवलोकन के माध्यम से न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को उलट दिया-न्यायाधिकरण द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष संभव है।

विचार, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा आकस्मिक तरीके से बाधित नहीं किया जा सकता था-न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि मृतक ने अपने सामान के साथ यात्रा की थी, पुष्टि और पुनर्स्थापित किया-अभिलेख पर लाई गई बीमा पॉलिसी उल्लंघन करने वाले ट्रैक्टर के संबंध में एक वैध पॉलिसी थी और इस प्रकार, बीमाकर्ता दावेदारों को दिए गए मुआवजे की राशि को पूरा करने के लिए बाध्य होगा-न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कार को पुनर्स्थापित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने
पकड़नाः 1.1 न्यायाधिकरण ने पीडब्लू के साक्ष्य का विश्लेषण किया था

2 (चश्मदीद गवाह) और पीडब्लू-1 (मृतक की मां) पूरी तरह से और आरोप के रूप में अन्य साक्ष्य को भी ध्यान में रखा।

जाँच अधिकारी द्वारा दुर्घटना के संबंध में इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए दायर किया गया कि मृतक ने अपने सामान के साथ ट्रैक्टर में होल्लूर की यात्रा की थी, जहाँ वह प्रतिवादी संख्या 2 से संबंधित ट्रैक्टर पर लदे मक्के के अनाज को उतारने गया था, जिसे प्रतिवादी संख्या 2 के कर्मचारी द्वारा चलाया गया था और होल्लूर से लौटते समय दुर्घटना हो गई थी। जब दूसरी तरफ से जाँच की गई, तो पीडब्लू-2 ने कहा कि दुर्घटना की तारीख को उन्होंने उक्त ट्रैक्टर में मक्के की फसल ली थी। विशेष रूप से, यह तथ्य कि मृतक ने अपनी कृषि उपज को उस पर लादा था

1.3 उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष के आधार पर कहा कि बीमाकर्ता को इस निष्कर्ष पर, कि दुर्घटना के समय मृतक अपने सामान के साथ यात्रा नहीं कर रहा था, पुरस्कार को संतुष्ट करने के दायित्व से वंचित नहीं किया जा सकता है। न अधिक और न ही कम। हालाँकि, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उक्त निष्कर्ष को कायम नहीं रखा जा सकता है, इस तथ्य पर न्यायाधिकरण का निष्कर्ष कि मृतक के पास था उसके सामान के साथ यात्रा की पुष्टि की जाती है और उसे बहाल किया जाता है। यह आवश्यक रूप से होगा कि बीमाकर्ता दावेदारों को दिए गए मुआवजे की राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं था। द.

न्यायाधिकरण ने वास्तव में पाया था कि अभिलेख पर लाई गई बीमा पॉलिसी उल्लंघन करने वाले ट्रैक्टर के संबंध में एक वैध पॉलिसी थी। यह मानते हुए कि बीमा कंपनी दावेदारों को दिए गए मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी क्योंकि उल्लंघन करने वाले ट्रैक्टर का विधिवत बीमा किया गया था, बीमाकर्ता अभी भी पहली बार में मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय भारत बीमा कंपनी। लिमिटेड।

(प्रतिवादी संख्या 2)। हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्यों में, न्यायाधिकरण द्वारा इस तथ्य के संबंध में दर्ज किए गए तथ्य की पुष्टि और पुनर्स्थापना के परिणामस्वरूप कि मृतक ने दुर्घटना के समय अपने सामान के साथ यात्रा की थी, बीमाकर्ता को दिए गए मुआवजे की राशि को पूरा करने के लिए बाध्य होगा। दावेदारों को। [पैरा 10,11 और 12] [608-एफ-एच; 609-ए-बी; 610-जी]

राष्ट्रीय बीमा कंपनी v. स्वर्ण सिंह और ओआरएस। (2004)

3 एस. सी. सी. 297-पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भ

(2004) 3 एससीसी 297

उस पर भरोसा करें

पैरा

11

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2247

2018 से।

उच्च न्यायालय के 09.07.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2008 (एम. वी.) के एम. एफ. ए. सं. 4401 में कर्नाटक की धारवाड़ पीठ।

शरणगौड़ा पाटिल, सुश्री सुप्रिता शरणगौड़ा, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

सुश्री मीनाक्षी मिधा, कपिल मिधा, भव्य लखवाड़ा, चंदर

शेखर आशरी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
ए. एम. खानविलकर, जे. 1. यह अपील से निकलती है

कर्नाटक उच्च न्यायालय का 9 जुलाई, 2015 को एम. एफ. ए. No.4401/2008 (एम. वी.) में दिया गया निर्णय, जिसने प्रत्यर्थी संख्या 1 (बीमा कंपनी) द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया था और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") के फैसले को रद्द कर दिया था।

याचिकाकर्ता।

2. एक की मृत्यु के संबंध में एक दावा याचिका दायर की गई थी

वापस लौटते हुए, अनाज उतारने के बाद, ट्रैक्टर-ट्रेलर पर नंबर। केए 29 / टी-1651/टी-1652 प्रत्यर्थी संख्या 2 से संबंधित है, और प्रत्यर्थी संख्या 2 के एक कर्मचारी, मल्लिकार्जुन बीमप्पा गनिगर द्वारा संचालित किया जा रहा है। में।

यह आरोप लगाया जाता है कि उक्त मल्लिकार्जुन बीमप्पा गनिगर के उतावलेपन और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मृतक [2018] 4 एस. सी. आर. से गिर गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ट्रैक्टर-ट्रेलर को घातक चोटें आईं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत एक दावा याचिका बाद में ट्रिब्यूनल, बागलकोट के समक्ष मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा मुआवजे की मांग करते हुए दायर की गई थी। 8 उत्तरदाता नंबर 1-बीमा कंपनी, उत्तरदाता नंबर 2-मालिक और चालक, मल्लिकार्जुन बीमप्पा गनिगर से एक लाख रुपये। अभिलेख पर तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थियों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि मृतक ने खुद एक ट्रैक्टर हुक पर खड़े होकर लापरवाही की थी जो ट्रैक्टर और ट्रेलर को जोड़ता था और यह निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना मोटर वाहन के चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थियों के खिलाफ संयुक्त रूप से और अलग-अलग, मृतक के परिवार के सदस्यों को पुरस्कार राशि की प्राप्ति की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, 3.7.2001 से 29.4.2003 और 11.7.2007 से ब्याज के साथ रु. <ID4/- (केवल तीन लाख बीस हजार रुपये) की राशि के साथ क्षतिपूर्ति करने के लिए एक निर्णय पारित किया।

3. पीड़ित, प्रतिवादी संख्या 1 बीमा कंपनी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधिकरण के फैसले पर हमला करते हुए तर्क दिया कि मृतक ने ट्रैक्टर-ट्रेलर में अपने सामान के साथ यात्रा नहीं की थी और इसलिए उसे कोई मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता था। द.

उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उठाए गए तर्क में योग्यता पाई, कि दुर्घटना के समय मृतक अपने सामान के साथ यात्रा नहीं कर रहा था और इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 बीमा कंपनी को उस संबंध में किसी भी दायित्व से नहीं जोड़ा जा सकता है।

4. अपीलकर्ताओं ने विवादित फैसले को इस आधार पर चुनौती दी है कि उच्च न्यायालय की सराहना करने में विफल रहा है

अभिलेख पर साक्ष्य और यह तथ्य कि मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था, जिसके बिना परिवार के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था। अपीलकर्ताओं का यह भी कहना है कि न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की मात्रा कम और अनुचित थी और इसलिए वे न्यायाधिकरण के फैसले को बढ़ाने की भी मांग करते हैं।

5. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री शरणगौड़ा पाटिल और अपीलार्थियों के विद्वान वकील सुश्री मीनाक्षी मिधा को सुना है।

उत्तरदाताओं। यह ध्यान दिया जाए कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक को उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष पक्षकार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है और अपीलकर्ताओं का दावा केवल प्रतिवादी संख्या 1-बीमा कंपनी और प्रतिवादी संख्या 2-वाहन के मालिक के खिलाफ है।

शिववा बनाम। शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय भारत बीमा कंपनी। लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

6. उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि बीमाकर्ता (प्रत्यर्थी संख्या 1)

पुरस्कार को संतुष्ट करने के दायित्व के साथ भारित नहीं किया जा सकता है और उस निष्कर्ष पर, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पसंद की गई अपील की अनुमति दी गई है। उस निष्कर्ष पर पहुंचने का कारण, जैसा कि विवादित फैसले से समझा जा सकता है, पीडब्लू-2 (चश्मदीद गवाह) के साक्ष्य के चुनिंदा अध्ययन पर आधारित है, जिसने कहा था कि मृतक ट्रैक्टर और ट्रेलर को जोड़ने वाले हुक पर खड़ा था और मृतक ट्रैक्टर की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण नीचे गिर गया, जो उसके सिर और छाती के ऊपर से गुजर गया। उच्च न्यायालय ने भी मृतक की माँ, पीडब्लू-1 के साक्ष्य को चुनिंदा रूप से स्वीकार किया है और राय दी है कि उसके साक्ष्य का भी यही प्रभाव था। इसके अलावा, उसने कहा है कि मृतक बी. ए. में पढ़ रहा था और पान-बीड़ी की दुकान चला रहा था। इस पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन गवाहों के साक्ष्य को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि पीड़ित दुर्घटना के समय अपने सामान के साथ यात्रा नहीं कर रहा था, जो रात के लगभग 1 बजे हुई थी। इस राय को दर्ज करने पर, उच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा किया गया विश्लेषण निम्नलिखित शब्दों में हैः

" 6. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील दृढ़ता से निर्भर करते हैं

पी. डब्ल्यू. 2 के साक्ष्य पर और तर्क देता है कि पी. डब्ल्यू. 2 एक चश्मदीद गवाह है

और न्यायालय के समक्ष अपदस्थ किया कि होल्लूर से लौटते समय,

ट्रैक्टर का चालक वाहन को तेज गति से चला रहा था और

लापरवाही से और दुर्घटना का कारण बना जिसमें मृतक

मौके पर ही मौत हो गई। Ex. पी-1 के पिता द्वारा दी गई शिकायत है

मृतक। इसमें कहा गया है कि 22.01.2001 पर उनके बेटे ने

प्रतिवादी नंबर 1 के ट्रैक्टर में होल्लूर गए और

न.

लगभग 1 बजे लौटते हुएः 00 रात के बीच के घंटे 22

और 23 जनवरी, 2001 को बेटे को गंभीर चोटें आई हैं।

दुर्घटना। इसमें यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृतक था हुक में खड़ा होना जो ट्रैक्टर को ट्रेलर से जोड़ता है और

लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण पीड़ित नीचे गिर गया और ट्रैक्टर उसके ऊपर से गुजर गया।

एक ही प्रभाव। उसने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि मृतक बी. ए. में पढ़ रहा था और पान बीड़ी की दुकान चला रहा था।

7. सभी गवाहों का एक संयुक्त अध्ययन एक निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि

दुर्घटना के समय पीड़ित अपने सामान के साथ यात्रा नहीं कर रहा था।

दुर्घटना लगभग 00 बजे हुई हैः 01 रात के घंटे। में।

परिस्थितियों में, बीमाकर्ता को देयता [2018] 4 एस. सी. आर. के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है।

पुरस्कार को संतुष्ट करने के लिए। अपील विचार के योग्य है और

तदनुसार अनुमति दी गई। "

7. दूसरी ओर, न्यायाधिकरण के निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि न्यायाधिकरण ने पीडब्लू-2 और पीडब्लू-1 के साक्ष्य का पूरी तरह से विश्लेषण किया था और इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए कि मृतक ने अपने सामान के साथ ट्रैक्टर में यात्रा की थी, दुर्घटना के संबंध में पंजीकृत अपराध के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा दायर आरोप पत्र के रूप में अन्य साक्ष्यों को भी ध्यान में रखा था।

होल्लूर, जहां वह प्रत्यर्थी नंबर 2 से संबंधित ट्रैक्टर पर लदे मक्के के अनाज को उतारने गया था, जिसे मल्लिकार्जुन बीमप्पा गनिगर चला रहे थे और होल्लूर से लौटते समय दुर्घटना हो गई। उसकी जाँच-इन-चीफ में, पीडब्लू-1 को निम्नानुसार अपदस्थ किया गयाः

जब मेरा बेटा उक्त टी. टी. इकाई में गाँव लौट रहा था, तब उक्त टी. टी. इकाई का चालक अनाज चला रहा था। लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की वजह से हैबली गांव के पास अनाप्पना हॉल (धारा) में दुर्घटना हुई, मेरा बेटा टी. टी. यूनिट से नीचे गिर गया और

कहा कि वाहन मेरे सिर पर चढ़ गया और सिर पर गंभीर चोटों के कारण मेरे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, और पी. एम.

सरकार में आयोजित। अस्पताल बादामी "।

पीडब्लू-2 ने अपनी जाँच में इस प्रकार कहाः

" 23.11.2001 पर लेफ्टिनेंट चनबसय्या और मैं एक साथ बसनगौड़ा हिरनिंगनगौडर के ट्रैक्टर में रोन गए।

उक्त ट्रैक्टर में मक्के को भरते हुए और वापस लौटते समय गणपन गाँव के पास हमारे शहर के पास ट्रैक्टर के चालक ने बहुत जल्दबाजी और लापरवाही से और तेज गति से चलने वाले ट्रैक्टर ने मानव जीवन को खतरे में डाल दिया और लेफ्टिनेंट चनबसय्या को घायल कर दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मैंने उक्त दुर्घटना देखी है। मेरी तरह अन्य लोग भी ट्रैक्टर में थे।

जब दूसरी तरफ से जाँच की गई, तो पीडब्लू-2 ने कहा कि दुर्घटना की तारीख को उन्होंने उक्त ट्रैक्टर में मक्के की फसल ली थी। विशेष रूप से, तथ्य यह है कि मृतक ने अपनी कृषि उपज को ट्रैक्टर पर लोड किया था और वी. ए. डब्ल्यू. ए. वी. ए. वी. ए. वी

शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय भारत बीमा कंपनी। लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]होल्लूर में उसे उतारने के लिए ट्रैक्टर का साथ दिया और निंग के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान, बिना चुनौती के चला गया।

8. पूरे साक्ष्य के आलोक में, न्यायाधिकरण ने इस प्रकार पाया किः

" 7. ..... इस तथ्य का खंडन प्रत्यर्थी नं. 3 और इस प्रकार मुद्दा संख्या 1 को साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर है और मुद्दा संख्या 1 को साबित करने के लिए दूसरे याचिकाकर्ता से पीडब्लू-1 के रूप में पूछताछ की जाती है जिसने अपना हलफनामा साक्ष्य दायर किया है और पीडब्लू-1 ने उसे अपदस्थ कर दिया है।

उसके बेटे की मृत्यु के कारण हुई दुर्घटना के बारे में सबूत

चनबसय्या 23.1.2001 पर ट्रैक्टर और ट्रेलर के साथ शामिल हैं

उत्तरदाता सं। 1 उत्तरदाता सं। 2 दुर्घटना की तिथि पर। प्रतिवादी नं. के लिए वकील के माध्यम से। 3 पी. डब्ल्यू.-1 की जांच की गई, लेकिन पी. डब्ल्यू.-1 ने अपने साक्ष्य को त्यागने के लिए प्रवेश नहीं दिया है। यहां तक कि पीडब्लू-1 ने भी इस बात से इनकार किया है कि मृतक ट्रैक्टर ट्रेलर में हुक वाले हिस्से पर खड़ा था जो उस दिन वाहन के ट्रैक्टर इंजन और ट्रेलर वाले हिस्से को जोड़ता है और यात्रा कर रहा था, लेकिन पीडब्लू-1 ने इस सुझाव से इनकार किया है। दुर्घटना को साबित करने के लिए एक स्वतंत्र गवाह पीडब्लू-2 से पूछताछ की जाती है।

याचिकाकर्ता जिसमें इस गवाह ने हलफनामा भी दायर किया है

और मृतक के कारण हुई दुर्घटना के बारे में बताया

ट्रैक्टर और ट्रेलर इकाई के साथ जुड़े 23.1.2001 पर चनबसय्या प्रतिवादी नं. 1 . इस गवाह से प्रतिवादी नं. 1 के वकील द्वारा भी जिरह की जाती है। 3 , लेकिन पीडब्लू-2 के साक्ष्य को त्यागने के लिए कुछ भी नहीं पाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस पर भरोसा किया है

दस्तावेज़, जिन्हें पी. डब्ल्यू.-1 के माध्यम से एक्सप-1 से एक्स. पी. 5 के अनुसार चिह्नित किया जाता है। एक्स. पी.-1 प्रथम याचिकाकर्ता अर्थात मृतक के पिता द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार अपराध No.12/2001 में बादामी पी. एस. के समक्ष दर्ज की गई एफ. आई. आर. की वास्तविक प्रति है। 279 और आई. पी. सी. की धारा 304 (ए)। शिकायत की प्रति भी एफ. आई. आर. के साथ संलग्न की गई है जिसमें याचिकाकर्ता नं. 1 टी. टी. इकाई के चालक के खिलाफ 23.1.2001 पर बादामी पी. एस. के समक्ष यह शिकायत दर्ज कराई है। एक्स. पी.-2 आई. ओ. द्वारा दाखिल आरोप पत्र है।

प्रत्यर्थी नं. 2 , जे. एम. एफ. सी. से पहले टी. टी. इकाई का चालक

बादामी में 2001 का C.C.No.314 वाला आपराधिक मामला टी. टी. इकाई के चालक के खिलाफ दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया था।

यू/सेक। 279 और आई. पी. सी. की धारा 304 (ए)। <आई. डी. 1.....। एक्स. पी.-4 आई. एम. वी. रिपोर्ट है जो मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा [2018] 4 एस. सी. आर. में शामिल टी. टी. इकाई की जांच के बाद दायर की जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दुर्घटना और यह दस्तावेज़ साबित करता है कि विचाराधीन दुर्घटना वाहन में किसी यांत्रिक दोष के कारण नहीं हुई थी। एक्सपी-5 है

बादामी में एम. ओ. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा की गई मृतक चनबसय्या की पोस्टमॉर्टम जांच रिपोर्ट और पी. एम. रिपोर्ट के अनुसार मौत सिर पर चोट लगने के कारण हुई थी और

मृतक के मस्तिष्क के महत्वपूर्ण अंगों को भी नुकसान। न्यायाधिकरण ने बीमाकर्ता की याचिका पर भी विचार किया

1) जिसे एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करने वाले साक्ष्य अधिकारी के माध्यम से निम्नलिखित शब्दों में स्थापित करने की मांग की गई थीः

किराया आधार और आर. डब्ल्यू.-1 ने इस दौरान उन्हें दिए गए सुझाव को अस्वीकार कर दिया है। प्रतिपरीक्षा कि वह गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है

मृतक एक ट्रैक्टर हुक पर खड़ा था जो इसे जोड़ता है

इंजन और ट्रेलर भाग। आर. डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य पर विचार करने के बाद, हालांकि प्रतिवादी नं. 3 दावा याचिका में दायर अपनी याचिका में और आर. डब्ल्यू.-1 ने भी अपने मौखिक साक्ष्य में कहा कि दुर्घटना स्वयं मृतक की घोर लापरवाही के कारण हुई थी, लेकिन इस तर्क का समर्थन करने के लिए कोई ठोस और मौखिक साक्ष्य नहीं है और न ही प्रतिवादी नं. 3 . इसके विपरीत, पीडब्लू-1 और 2 और एक्सपी-1 से एक्सपी-5 के साक्ष्य भी हैं जो सी. सी. फाइल से प्राप्त दस्तावेज हैं जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, आरोपी यानी टी. टी. इकाई के चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था और

आई. ओ. ने उचित जांच के बाद उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। उत्तरदाता नं। 2 तारीख को टी. टी. इकाई का चालक कौन था

दुर्घटना और इसलिए वहाँ दस्तावेजों द्वारा इनकार नहीं किया जाता है

उत्तरदाता नं। 3 . इसके विपरीत, एक्स. पी.-1 से एक्स. पी.-5 स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं

कि विचाराधीन दुर्घटना कार्रवाई योग्य के कारण हुई थी

टी. टी. इकाई के चालक की लापरवाही जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 वी. ए. डब्ल्यू. ए. वी. ए. वी. ए. वी

शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय भारत बीमा कंपनी। लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उक्त ट्रैक्टर और ट्रेलर को 23.1.2001 पर चलाते हुए दुर्घटना हो गई

गनप्पन हल्ला के पास सुबह 1 बजे से सिर्फ 1 कि. मी. दूर चोलचगुड्डा-गोवनकोप्पा पीडब्ल्यूडी रोड पर हेब्बल्ली गाँव और

चालक की घोर लापरवाही के कारण चनबसय्या की मौत हो गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई क्योंकि वह उस दिन उक्त टी. टी. इकाई में यात्रा कर रहा था और इसलिए लापरवाही स्पष्ट है।

टी. टी. इकाई के चालक की ओर से जिम्मेदार ठहराया गया और की मृत्यु

चनबसय्या सड़क दुर्घटना का निकटतम कारण था

जो सेक के पूर्वावलोकन के अंतर्गत आता है। 166 एम. वी. अधिनियम और याचिकाकर्ताओं द्वारा नेतृत्व किए गए इस सकारात्मक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाता है

दस्तावेजी साक्ष्य, लेकिन प्रतिवादी का तर्क नं। 3 अस्वीकार किया जाना चाहिए और यह मानने के लिए कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि चनबसय्य की मृत्यु उनकी अपनी लापरवाही के कारण हुई थी। इसलिए, पीडब्लू-1 और 2 और आर. डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद और एक्स. पी.-1 से एक्स. पी.-51 के अवलोकन द्वारा मेरा मानना है कि याचिकाकर्ताओं ने साबित किया है

प्रत्यर्थी सं. 1 के विरुद्ध निर्गम सं. 1। 1 3 तक। तदनुसार, जारी किया गया

नहीं। 1 सकारात्मक जवाब दिया जाता है। "

फिर से अनुच्छेद 11 में, मुआवजे की पात्रता के मुद्दे पर इस प्रकार संपादित किया गया हैः

" ..... याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 1 से मुआवजे का दावा किया

एक्स. आर.-1 के शर्त खंड "ए" में कहा गया है कि मृतक ने कमीशन एजेंट की दुकान में अलूर छेद में मक्के के मकई को फेंकने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 का वाहन किराए पर लिया था। आर. डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य में बीमा कवर नोट प्रस्तुत किया जाता है और इसे एक्स. एच. पी.-1 पर चिह्नित किया जाता है। प्रत्यर्थी सं. 3 के तर्क को इस न्यायाधिकरण द्वारा इस बचाव पक्ष के संबंध में खारिज कर दिया गया है कि चनबसय्या की मृत्यु उनके कारण हुई थी। घोर लापरवाही। पूर्व के अवलोकन पर। आर 1 यह प्राप्त वैध पॉलिसी है।

प्रत्यर्थी सं. 1 से उसकी टी. टी. इकाई के बारे में जिसमें नीति अवधि

आर. डब्ल्यू.-1 प्रतिपरीक्षा में, जिसमें आर. डब्ल्यू.-1 को उसके प्रतिपरीक्षा में शामिल किया गया है, इस प्रकार हैः " ..... इसके विपरीत, मृतक प्रतिवादी नंबर 1 के स्वामित्व वाले वाहन में मक्का फेंकने गया था।

इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 3 का यह तर्क कि वाहन और इसका उपयोग किराए और पुरस्कार के लिए किया गया था, अभिलेख पर किसी भी ठोस साक्ष्य से साबित नहीं होता है। इसके विपरीत, उल्लंघन करने वाले वाहन टी. टी. इकाई का उपयोग प्रत्येक बिक्री केंद्र यानी होल-अलूर में कमीशन एजेंट की दुकान तक खाद्यान्न ले जाने के लिए किया जाता था, जिसे याचिकाकर्ता परिवार की एक कृषि उपज ट्रैक्टर-ट्रेलर कहा जाता था। इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया यह निर्णय उपयुक्त रूप से लागू होता है जिसमें वाहन का उपयोग कृषि उद्देश्य के लिए होता है न कि किसी अन्य वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए। एक बार जब मृतक द्वारा कृषि उद्देश्य के लिए वाहन का उपयोग किया जाता है तो किसी भी नीति का उल्लंघन करने का सवाल उठता है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा शर्तें उत्पन्न नहीं होंगी।

9. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने एक व्यापक अवलोकन द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को उलट दिया। जबकि, न्यायाधिकरण ने पी. डब्ल्यू.-1, पी. डब्ल्यू.-2 के साक्ष्य और इसके संबंध में दायर आरोप-पत्र के साथ की गई सामग्री पर विधिवत विचार किया था -

अपराध सं. 12/2001 के साथ-साथ बीमाकर्ता द्वारा ली गई याचिका और आरडब्ल्यू-1 का साक्ष्य। हमारी राय में, न्यायाधिकरण द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष एक संभावित दृष्टिकोण है, जिसे बीमाकर्ता द्वारा दायर अपील में उच्च न्यायालय द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता था, बहुत कम इस तरह के आकस्मिक तरीके से, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है।

10. विशेष रूप से, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए अन्य निष्कर्षों को भी स्वीकार नहीं किया है, जिसमें दुर्घटना के तरीके के बारे में और विशेष रूप से, ट्रैक्टर के चालक के उतावलेपन और लापरवाही के बारे में बताया गया है, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप चनाबसय्या की गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही मौत हो गई थी। उच्च न्यायालय ने मृतक की आयु, व्यवसाय और आय के प्रमाण और न्यायसंगत और उचित मुआवजे की मात्रा के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को भी स्वीकार नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष पर आधारित किया कि बीमाकर्ता को इस निष्कर्ष पर, कि दुर्घटना के समय मृतक अपने सामान के साथ यात्रा नहीं कर रहा था, पुरस्कार को संतुष्ट करने के दायित्व के साथ भारित नहीं किया जा सकता है। न अधिक और न ही कम। हालाँकि, चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उक्त निष्कर्ष को कायम नहीं रखा जा सकता है, इसलिए इस तथ्य पर न्यायाधिकरण के निष्कर्ष की पुष्टि और पुनर्स्थापना करनी होगी कि मृतक ने अपने सामान के साथ यात्रा की थी। यह आवश्यक रूप से होगा कि बीमाकर्ता दावेदारों को दिए गए मुआवजे की राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं था। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यायाधिकरण ने वास्तव में पाया है कि अभिलेख पर लाई गई बीमा पॉलिसी शिवव्वा बनाम में एक वैध पॉलिसी थी।

शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय भारत बीमा कंपनी। लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

12.02.2000 से 11.02.2001 तक की अवधि के लिए उल्लंघन करने वाले ट्रैक्टर का सम्मान।

11. यह मानते हुए कि बीमा कंपनी दावेदारों को दिए गए मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी उल्लङ्घन करने वाले ट्रैक्टर का विधिवत बीमा किया गया था, बीमाकर्ता अभी भी राष्ट्रीय बीमा कंपनी के मामले में स्पष्टीकरण के आलोक में वाहन के मालिक (प्रतिवादी संख्या 2) से उसी की वसूली करने की स्वतंत्रता के साथ पहली बार में मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। बनाम स्वर्ण सिंह और Ors.[1] उक्त निर्णय के अनुच्छेद 110 में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 110. इन याचिकाओं में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर हमारे निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार हैः (i) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का अध्याय 11

तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ वाहनों का अनिवार्य बीमा है

मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे द्वारा राहत देने के लिए सामाजिक कल्याण कानून। के प्रावधान

सभी वाहनों का अनिवार्य बीमा कवरेज इसके साथ है।

(iii) XXX
(iv) हालांकि, बीमा कंपनियों को अपने दायित्व से बचने के लिए न केवल उक्त कार्यवाही में उठाए गए उपलब्ध बचाव (ओं) को स्थापित करना चाहिए, बल्कि वाहन के मालिक की ओर से 'उल्लंघन' भी स्थापित करना चाहिए।

(v)

XXX

(vi)

XXX

(vii)

XXX

(viii)

XXX

(ix)

XXX

1 (2004) 3 एस. सी. सी. 297 [2018] 4 एस. सी. आर.

(x) जहां अधिनियम के तहत दावे के निर्णय पर

न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बीमाकर्ता के पास है

उप-धारा (7) के साथ पठित धारा 149 (2) के प्रावधान इस प्रकार हैं - ऊपर इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई, न्यायाधिकरण निर्देश दे सकता है

कि बीमाकर्ता बीमाकृत द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है

पुरस्कार के तहत तीसरे पक्ष को भुगतान करने के लिए मजबूर न्यायाधिकरण द्वारा दावे का ऐसा निर्धारण होगा

प्रवर्तनीय और बीमाकर्ता को देय राशि

बीमित व्यक्ति द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर वसूली योग्य होगा न्यायाधिकरण ने उसी तरीके से कलेक्टर को

भूमि के बकाया के रूप में वसूली के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा राजस्व केवल तभी जब धारा की उप-धारा (3) द्वारा आवश्यक हो।

168 अधिनियम का बीमाकृत राशि जमा करने में विफल रहता है

बीमाकर्ता के पक्ष में तीस दिनों के भीतर प्रदान किया गया न्यायाधिकरण द्वारा पुरस्कार की घोषणा की तिथि।

बीमाकर्ता अनुबंध के तहत भुगतान की गई राशि की वसूली करेगा बीमित व्यक्ति की ओर से बीमा का सहारा लिया जा सकता है।

न्यायाधिकरण द्वारा और दावों और बचावों तक विस्तारित किया जाए द्वारा बीमित के विरुद्ध बीमाकर्ता का, उन्हें उपचार के लिए छोड़ देना

उन मामलों में जहां दिए गए तथ्यों और

परिस्थितियों के बीच उनके दावों का न्यायनिर्णयन पीड़ितों के दावों के निर्णय में देरी करना।

(जोर दिया गया)

12. हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्यों में, हमें कोई संकोच नहीं है

राजा एक दृष्टिकोण जो पुष्टि और बहाली के परिणामस्वरूप

दुर्घटना के समय अपने सामान के साथ मृतक के हताहत होने के तथ्य के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज तथ्य के अनुसार, बीमाकर्ता को दिए गए मुआवजे की राशि को पूरा करने के लिए बाध्य होना चाहिए।

चींटियाँ।

13. अपीलार्थियों के तर्क पर लौटते हुए कि न्यायाधिकरण

क्षतिपूर्ति राशि की गणना में स्पष्ट त्रुटि, हम शिवव्वा बनाम।

शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय भारत बीमा कंपनी। लिमिटेड। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

पता लगाएँ कि अपीलकर्ताओं (दावेदारों) ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय के उस हिस्से के खिलाफ मुआवजे की राशि में वृद्धि के लिए अपील दायर नहीं की और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष बीमाकर्ता द्वारा दायर पहली अपील में कोई प्रति-आपत्ति दायर करने का विकल्प चुना। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के फैसले से इस बात का कोई संकेत नहीं है कि अपीलकर्ताओं की ओर से मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग करने का कोई प्रयास किया गया था। आधार जो उस ओर से अपीलार्थियों के लिए उपलब्ध होते। उल्लेखनीय है कि वर्तमान अपील में भी, अपीलकर्ताओं ने मुआवजे की मात्रा के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय के उस हिस्से के खिलाफ कोई "राहत" नहीं मांगी है। इस अपील में दावा की गई राहत

बीमाकर्ता द्वारा पसंद की गई अपील। इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह मात्रा के संबंध में तर्क पर विचार करे अपीलार्थियों (दावेदारों) के कहने पर क्षतिपूर्ति।

14. नतीजतन, अपील केवल इस हद तक सफल होगी कि उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को रद्द कर दिया जाए।

बीमाकर्ता (प्रत्यर्थी संख्या 1) द्वारा दायर की गई पहली अपील, जैसा कि अनुरोध किया गया था और परिणामस्वरूप, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, बदालकोट द्वारा पारित 21 जनवरी, 2008 के पुरस्कार को बहाल करके। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं।

15. उपरोक्त शर्तों में लागत के साथ अपील की अनुमति है।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे